264
10.50

संख्या– —— /XXXVI(1)/2017-184/2001 T.C.-V

प्रेषक,

आलोक कुमार वर्मा,
सचिव न्याय एवं विधि परामर्शी,
उत्तराखण्ड शासन।

सेवा में,

सदस्य सचिव,
उत्तराखण्ड राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण,
मा0 उत्तराखण्ड उच्च न्यायालय परिसर,
नैनीताल।

न्याय अनुभाग–1 देहरादूनः दिनांक 08 फरवरी, 2017

विषय– उत्तराखण्ड राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण के अधीनस्थ समस्त जिला विधिक सेवा प्राधिकरणों के कार्यालय हेतु सचिव, जिला विधिक सेवा प्राधिकरण, लेखालिपिक तथा आशुलिपिक के पदों की निरन्तरता बढाया जाना।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक आपके पत्र सं0–21/III-C/उ0रा0वि0से0प्रा0/2017 दिनांक 17.01.2017 के अनुक्रम में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि उत्तराखण्ड राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण के अधीनस्थ समस्त 13 जिला विधिक सेवा प्राधिकरणों के कार्यालयों में कार्यो के सुचारू रूप से संचालन हेतु शासनादेश दिनांक 24.02.2014 द्वारा सृजित निम्नलिखित अस्थायी पदों की निरन्तरता शासनादेश सं0–76/XXXVI(1)/2017-184/2001 T.C.-V दिनांक 04.02.2016 के माध्यम से बढायी गयी है। अतः इन पदों की वर्तमान आवश्यकता के दृष्टिगत निरन्तरता दिनांक 01.03.2017 से दिनांक 28.02.2018 तक बढाये जाने की श्री राज्यपाल सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते है:–

क्र0 सं0	पदनाम	पदों की संख्या	वेतनमान
1	सिविल जज (प्रवर खण्ड)/सचिव, जिला विधिक सेवा प्राधिकरण	13	39530–54010 + अन्य भत्ते
2	लेखालिपिक	13	5200–20200 ग्रेड पे 2800
3	आशुलिपिक	13	5200–20200 ग्रेड पे 2800
	कुल पद	**39**	

2– उक्त पर होने वाला व्यय सुसंगत वित्तीय वर्ष के आय व्ययक के अनुदान सं0–04 के अन्तर्गत लेखाशीर्षक "2014–न्याय प्रशासन–00–आयोजनागत–800–अन्य व्यय–06–जिला विधिक सेवा प्राधिकरण" के अन्तर्गत के अन्तर्गत सुसंगत प्राथमिक इकाईयों के नामें डाला जायेगा।

3– यह आदेश उत्तर प्रदेश शासन के वित्त (लेखा) अनुभाग–2 के कार्यालय ज्ञाप सं0–ए–2–2574/दस–98–24(8)92 लखनऊ दिनांक 02 दिसम्बर, 1998 सपठित ए–1270/76–दस दिनांक 20.07.1968 एवं कार्यालय ज्ञाप सं0–ए–2–877/दस–92–24(8)/92 दिनांक 07.11.1992 (यथा उत्तराखण्ड राज्य में प्रवृत्त) द्वारा प्रशासकीय विभागों को प्रतिनिधानित किये गये अधिकारों के अन्तर्गत प्रसारित किये जा रहे है।

भवदीय

(आलोक कुमार वर्मा)
सचिव

क्रमशः.....2

संख्या– ५५ /XXXVI(1)/2017-184/2001 T.C.-V तददिनांकित।

प्रतिलिपि– निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

1. महालेखाकार, उत्तराखण्ड, ओबरॉय भवन, माजरा, देहरादून।
2. महानिबन्धक, मा0 उत्तराखण्ड उच्च न्यायालय, नैनीताल।
3. समस्त वरिष्ठ कोषाधिकारी, उत्तराखण्ड।
4. वित्त अनुभाग–5, उत्तराखण्ड शासन।
5. एन0आई0सी0 / गार्ड फाईल।

आज्ञा से,

(महेश चन्द्र कौशिवा)
अपर सचिव